

न्यायालय:-श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

आप. प्रक. क.-975 / 2011  
संस्थित दिनांक-16.12.2011  
फाईलिंग नं.-234503000602011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

दिलीप कुमार पिता अनंतराम पंचभावे, उम्र-61 वर्ष,  
निवासी-बी-5-29, मलाजखण्ड, थाना मलाजखण्ड,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक-21 / 07 / 2016 को घोषित)

1— आरोपी दिलीप कुमार के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-12.09.2011 को 3.30 बजे ग्राम कटंगी सुमरन धुपे के घर के सामने मेन रोड अन्तर्गत थाना बैहर में लोकमार्ग पर वाहन सुपर स्पलेण्डर क्रमांक-सी.जी-07-8166 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया, उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर आहत करनलाल पंचभावे को टक्कर मारकर बाएं पैर में अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की।

2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि पुलिस थाना बैहर में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक पूरनलाल लिल्हारे को आवेदक फूलचंद पंचतिलक ने एक आवेदनपत्र दिनांक-05.10.2011 को प्रस्तुत किया, जिसमें आवेदन फूलचंद पंचतिलक आहत करनलाल तथा साक्षी सुदेश के कथनों की जांच में यह पाया गया कि आहत करनलाल दिनांक-12.09.2011 को शाम के 5:30 बजे तन्नौर नदी में गणेश विसर्जन करने गया था। वापस घर आते समय सुमरन के घर के सामने मोटरसाईकिल क्रमांक-सी.जी-07-8166 के चालक दिलीप ने वाहन को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर आहत को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे आहत के दाहिने हाथ की कोहनी व बाएं पैर में घोर उपहति कारित की। उपरोक्त आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-129 / 2011, धारा-279, 338 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया, पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया, गवाहों के कथन लेखबद्ध

किये गये तथा आरोपी से घटना में प्रयुक्त वाहन की जप्ती गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के अपराध के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-12.09.2011 को 3.30 बजे ग्राम कटंगी सुमरन धुपे के घर के सामने मेन रोड अन्तर्गत थाना बैहर में लोकमार्ग पर वाहन सुपर स्पलेण्डर क्रमांक-सी.जी-07-8166 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर आहत करनलाल पंचभावे को टक्कर मारकर बाएं पैर में अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की ?

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 व 2 का निष्कर्ष :-

5— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी करनलाल (अ.सा.2) ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता। दिनांक-12.09.2011 को शाम 5:00 बजे वह गणेश विसर्जन करके अपने घर आ रहा था, तभी पीछे से मोटरसाईकिल क्रमांक-सी.जी-07-8166 आई और उसने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसके हाथ और पैर में चोट आई थी और बायां हाथ, पैर टूट गया था। उसने वाहन चलाने वाले को नहीं देखा और न ही उसे वाहन का नंबर याद है। उसका ईलाज बालाघाट में हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 के बी से बी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने अपने पुलिस बयान में आरोपी दिलीप द्वारा तेज गति से मोटरसाईकिल चलाने वाली बात बताई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने पुनः स्वीकार किया कि उसने वाहन चालक तथा वाहन को नहीं देखा। साक्षी ने कहा है कि उसने दूसरे के बताने पर गाड़ी का नंबर बताया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि पीछे से

आती हुई मोटरसाईकिल को देखकर उसके साथ बैठा व्यक्ति सुदेश कूद गया था और यदि सुदेश साईकिल से नहीं कूदता तो दुर्घटना नहीं होती। इस प्रकार साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में विरोधाभासी कथन किये हैं।

6— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी सुदेश कुमार दीवान (अ.सा.3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को तथा आहत करनलाल को जानता है। घटना उसके बयान देने के एक वर्ष पूर्व गणेश विसर्जन के समय की है। वह करनलाल के साथ गणेश विसर्जन कर अपने घर वापस आ रहा था, तभी पीछे से एक मोटरसाईकिल आई और करनलाल को टक्कर मार दी, जिसे आरोपी दिलीप चला रहा था। उसने पीछे पलटकर देखा तो आहत करनलाल गिर गया था, जिसके बाएं पैर व बाएं हाथ में चोट लगी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी। साक्षी ने यह भी कहा है कि वह नहीं बता सकता कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने आरोपी को वाहन चलाते हुए नहीं देखा।

7— समरलाल धुर्वे (अ.सा.4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को जानता है। घटना गणेश विसर्जन के समय की है। गणेश विसर्जन के पश्चात् वह अपने घर जा रहा था, तभी उसे करनलाल और उसके साथी की आवाज आई कि दुर्घटना हो गई है। वह आवाज सुनकर मौके पर गया तो उसने देखा कि आहत करनलाल के पैर में चोट आई थी। आरोपी अपनी मोटरसाईकिल के साथ वहीं था। आने ने उसे जानकारी दी कि आरोपी की गलती से दुर्घटना हुई थी। पुलिस ने उसके बयान नहीं लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि जब दुर्घटना हुई थी, तब वह मौके पर उपस्थित नहीं था। वह घटना होने के बाद मौके पर पहुंचा था और वह यह नहीं बता सकता कि किसकी गलती से दुर्घटना हुई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके झूठे कथन तैयार किये हैं।

8— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी फूलचंद पंचतिलक (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को पहचानता है। घटना उसके बयान देने के 4 माह पूर्व शाम 5:00 बजे की है। उसने घटना होते हुए नहीं देखा था, दुर्घटना में उसके भाई करनलाल का हाथ और पैर टूट गया था। वह साईकिल रखकर अपने घर चला गया था। उसने रिपोर्ट नहीं की थी, क्योंकि उसे रिपोर्ट करने का मौका ही नहीं मिला। उसने थाने में कोई आवेदन नहीं दिया, फिर साक्षी ने कहा कि उसने आवेदन प्रदर्श पी-1 थाने पर दिया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष पुलिस ने घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श

पी-2 बनाया था, जिसके अ से अ भाग पर उसने हस्ताक्षर हैं। उसके सामने आरोपी से कोई जप्ती नहीं हुई थी, किन्तु जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कहा है कि घटना के समय वह नहीं था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी।

9— प्रकरण में आहत करनलाल ने (अ.सा.2) का कहना है कि दुर्घटना दिनांक को एक मोटरसाईकिल चालक ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। पीछे से आ रहा व्यक्ति वाहन को किस प्रकार से चला रहा था, इस बात का उल्लेख अथवा जानकारी होना सामने जा रहे व्यक्ति को नहीं हो सकती, यह संभव है।

10— अभियोजन साक्षी सुदेश कुमार दीवान (अ.सा.3), समरलाल धुर्वे (अ.सा.4) ने भी अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह कहा है कि दुर्घटना के समय पीछे से एक मोटरसाईकिल आई थी, जिसने उसे टक्कर मारी थी। इस प्रकार पीछे से आता हुआ वाहन उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाया जा रहा था, यह बात उपरोक्त साक्षियों ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में स्पष्ट नहीं की है।

11— अभियोजन साक्षी फूलचंद पंचतिलक (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि दुर्घटना के समय वह मौके पर नहीं था, जबकि साक्षी सुदेश (अ.सा.3) ने भी यह कहा है कि उसने दुर्घटना होतु हुए नहीं देखी। उपरोक्त साक्षियों में से किसी भी अभियोजन साक्षी द्वारा यह नहीं कहा गया है कि आरोपी द्वारा दुर्घटना के समय वाहन क्रमांक—सी.जी—07—8166 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाया जा रहा था, जिसके कारण दुर्घटना हुई थी। उपरोक्त आधारों पर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अंतर्गत अपराध किये जाने के तथ्य प्रमाणित न होने से आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

12— दुर्घटना में आहत करनलाल पंचभावे को चोट आई थी, यह बात अभियोजन साक्षी सुदेश कुमार दीवान (अ.सा.3), फूलचंद पंचतिलक (अ.सा.1), समरलाल धुर्वे (अ.सा.4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में सिद्ध की है। यद्यपि आहत का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक का न्यायालय के समक्ष परीक्षण नहीं हुआ, परंतु फिर भी यदि यह मान लिया जावे कि दुर्घटना में आहत करनलाल को घोर उपहति कारित हुई थी, तो भी आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 का अपराध प्रमाणित न होने से आरोपी द्वारा आहत को साआशय



उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से उपहति कारित करना प्रमाणित नहीं पाया जा सकता है, इसलिए आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-338 के लिए भी सिद्धदोष नहीं माना जा सकता। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-338 के अंतर्गत अपराध से दोषमुक्त किया जाता है

13— प्रकरण में आरोपी अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

14— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

15— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल सुपर स्प्लेण्डर क्रमांक—सी. जी—07—8166 को सुपुर्ददार दिलीप कुमार पंचभावे पिता अनंतराम पंचभावे, साकिन मलाजखण्ड थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट को सुपुर्दनामा पर प्रदान की गई है जो अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझी जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित  
कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया।  
किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित

सही /—

बैहर,  
दिनांक—21.07.2016

(श्रीष कौलाश शुक्ल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट